तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी/टी.ए./1894/2003/चूरू
उमर खां व अन्य बनाम सफी खां व अन्य

एकल–पीठ
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री दुनी चन्द अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री एस.पी.सिंह अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 28–2–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी चूरू के न्यायालय में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। वाद पत्र के साथ अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 9–8–01 के द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 28–2–03 को खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई।

4– प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि कमिश्नर की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है। प्रार्थी को सुने बिना ही तहसीलदार चूरू को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जिसने प्रार्थी को बिना सूचना दिये एवं बिना मौके पर गये मौका रिपोर्ट तैयार की है। विवादित आराजी में प्रार्थी का 1/3हिस्सा है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। सहखातेदारी की भूमि पर जब तक विधिवत बटवारा नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक सहखातेदार का इन्च इन्च भूमि पर कब्जा माना जाता है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जावें।

5– जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बताते हुये निगरानी खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है बल्कि अप्रार्थीगण काबिज काश्त हैं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./1894/2003/चूरू</u>** **उमर खां व अन्य बनाम सफी खां व अन्य**	

इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का अन्तिम रूप से निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य के द्वारा होगा। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से तीन घटक प्रथम दृष्टया केस,सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति बाबत मुख्य रूप से विचार किया जाना है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा दर्ज है। विचारण न्यायालय ने मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा मानते हुये निर्णय पारित किया है। विधि अनुसार मौका कमिश्नर की रिपोर्ट निर्णय का आधार नहीं हो सकती है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पक्षकारान वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार हैं और सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का इन्च इन्च भूमि पर कब्जा माना जाता है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण की ओर से अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी की ओर से कोई काउण्टर क्लेम अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण विचारण न्यायालय को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को या तो स्वीकार करना चाहिये था अथवा खारिज करना चाहिये था। विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने का जो आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्ध है क्योंकि उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की कोई प्रार्थना ही नहीं की गई थी।इसके अतिरिक्त जैसा कि उपर विवेचन किया जा चुका है सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इन्च इन्च भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। इसलिये विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण के विरूद्ध जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी बिना अभिलेख का अवलोकन किये विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की गलत रूप से पुष्टि की है।

8– उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)

सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./1894/2003/चूरू</u>** **उमर खां व अन्य बनाम सफी खां व अन्य**	